न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./82/2017/जैसलमेर

अपीलांट

भंवरलाल पुत्र काछबाराम का.मु.

1. हंसकंवर उर्फ हंसी पत्नी भंवरलाल
2. अर्जुनसिंह पुत्र भंवरलाल
3. तोगराजसिंह पुत्र भंवरलाल

जाति राजपुरोहित निवासी लखा

तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम राजस्थान राज्य जरिये

1.श्रीमान जिला कलेक्टर जैसलमेर

2.श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के राजस्व वाद संख्या 03/2004 बअनवान भंवरलाल बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 15.10.2005 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 25.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि अपीलांट के पिता भंवरलाल की समरी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम लखा में आई हुई है जिसके समरी बंदोबस्त के खसरा संख्या 51 रकबा 86.05 बीघा व खसरा संख्या 239 रकबा 69 बीघा कुल रकबा 155.05 बीघा आई हुई है। स्थाई सेटलमेंट के समय अपीलांट के स्वामित्व सुदा समरी बंदोबस्त के खसरा संख्या 51 रकबा 86.05 बीघा को स्थायी बंदोबस्त के खसरा संख्या 480 में 51.03 बीघा ही दर्ज किया गया तथा बकाया 35.02 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई जो वर्तमान में खसरा संख्या 787 एवं 791 में 33 बीघा एवं खसरा संख्या 788 में 02.02 बीघा है इसी प्रकार समरी बंदोबस्त के खसरा संख्या 239 रकबा 69 बीघा की जगह स्थायी बंदोबस्त में 55 बीघा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज की गई जिस पर अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी की एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी की एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय ने समरी बंदोबस्त एवं नियमित बंदोबस्त के रेकर्ड को ठीक से समझे बिना ही फैसला कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पालना करते हुए पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का वाद डिक्री फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हुए बताया कि अभी 25 दिन पूर्व अपने खेतों के संबंध में के सी सी बनाने हेतु अपीलकर्ता ने पटवारी हल्का से अपने खेतो की नकले लेने हेतु आवेदन किया तब पटवारी हल्का ने अपीलकर्ता के खेतो की नकले जारी की तो उसमें रकबा कम होने की जानकारी हुई। अपीलांट के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद पत्र एवं निर्णय की नकले मांगी गई तथा निर्णय की प्रतिलिया दिनांक 03.02.2017 को प्राप्त हुई तब अपीलाकर्तागण को अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 11 वर्ष की सुदीर्घ अवधि के बाद पेश की गई। अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण नहीं दिया गया है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांट के पिता की मृत्यु कब हुई तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी केसे हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 11 साल की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि पत्रावली पर मैरिट की बहस भी सुनी जा चुकी है। अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर भी करना न्यायालय उचित समझता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि समरी अंदाजिया थी। स्थाई बंदोबस्त में अपीलांट/वादी का जितनी भूमि पर कब्जा काश्त था उतनी भूमि का खातेदारी में इन्द्राज किया जा चुका है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन एवं विधिक बिंदुओं के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के राजस्व वाद संख्या 03/2004 बअनवान भंवरलाल बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 15.10.2005 को यथावत रखा जाता है।

25/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 25.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner